भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3696

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च , 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा सखी योजना

3696. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा: श्री जुगल किशोर:
श्री दुलू महतो: श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री दिलेश्वर कामैत: सुश्री बाँसुरी स्वराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो बीमा सखी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त योजना विशेषकर झारखंड और राजस्थान में किस प्रकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होगी, तथा उक्त योजना से कितनी आय होने की उम्मीद है;

(घ) क्या योजना के तहत बीमा सखी विकास अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल होने के लिए पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विभिन्न राज्यों में लोगों को किस प्रकार इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिनांक 9.12.2024 को बीमा सखी योजना (महिला करियर एजेंट योजना) का शुभारंभ किया है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्य-निष्पादन उन्मुख वृत्तिकाग्राही (स्टाइपेंडिग) की योजना है। निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर पहले 3 वर्षो के दौरान बीमा सखी वृत्तिका (स्टाईपेंड) पाने की पात्र होंगी। यह वृत्तिका पहले वर्ष में 7,000 रुपये प्रति माह से लेकर तीसरे वर्ष के दौरान 5,000 रुपये प्रति माह तक होती है। वृत्तिका के अलावा, बीमा सखी किए गए व्यवसाय पर कमीशन पाने की भी पात्र होंगी।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना और झारखंड और राजस्थान की महिला आबादी के साथ-साथ अपने देश की महिला आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

महिला कैरियर एजेंट (बीमा सखी), जो स्नातक हैं, एलआईसी के एजेंट के रूप में 5 वर्ष पूरा करने के बाद, एलआईसी के प्रशिक्षु विकास अधिकारियों के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं, यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों।

इस योजना की विशेषताएं **अनुबंध** में दी गई हैं।

<u>दिनांक 24.3.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3696 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध</u>

1. **आयु** –आवेदन की तिथि को आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा उसकी आयु 70 वर्ष (अंतिम जन्म तिथि) से अधिक नहीं हो।
2. **शैक्षिक योग्यता** –बीमा सखी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदक को न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए।
3. **भर्ती-पूर्व परीक्षा** - आवेदक को इरडाई द्वारा निर्धारित भर्ती-पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
4. **बीमा सखियों द्वारा प्रत्येक वृत्तिकाग्राही (स्टाईपेंडियरी) वर्ष के दौरान पूरा किए जाने वाले कार्य-निष्पादन मानदंड-**
   कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या: 24
   प्रथम वर्ष में अर्जित किया जाने वाला कमीशन (बोनस कमीशन को छोड़कर): 48,000/- रूपए
5. **वृत्तिकाग्राही (स्टाईपेंडियरी) अवधि और वृत्तिका:**
   वृत्तिकाग्राही अवधि: तीन वर्ष
   देय वृत्तिका -

वृत्तिकाग्राही वर्ष	प्रति माह वृत्तिका
प्रथम वर्ष	7000/- रूपए
द्वितीय वर्ष	6000/- रूपए (प्रथम वृत्तिकाग्राही वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसियों के दूसरे वृत्तिकाग्राही वर्ष के तदनुरूपी माह के अंत तक बने रहने के अध्यधीन है।)
तृतीय वर्ष	5000/- रूपए (दूसरे वृत्तिकाग्राही वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसियों के तीसरे वृत्तिकाग्राही वर्ष के तदनुरूपी माह के अंत तक बने रहने के अध्यधीन है।)

बीमा सखी को मासिक वृत्तिका प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या और प्रथम वर्ष के कमीशन (बोनस कमीशन को छोड़कर) के मासिक मानदंडों को पूरा करना होगा।

******